07/04/26	पत्रावली प्रार्थी निर्णय पेश हुई। आदेश धारा-34 पर प्रार्थना स्वीकार किया जाता है व विस्तृत निर्णय शामिल किया जाकर डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया।	G Cas 2023/438

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्या:— 31/2023 दायरा दिनांक:— 08.02.2023

GCMS:- 2023/438

—: अनवान :—

1. भागीरथ पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा हाल निवासी चक 4 डी.बी. एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अंकुश कुमार पुत्र संजय जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा हाल निवासी चक 4 डी. बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. हरीराम पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा हाल निवासी चक 4 डी.बी. एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. गगनदीपसिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राधादेवी पत्नी संजय कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. वकील कुमार पुत्र संजय जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रिछपाल पुत्र बीरबल(स्वर्गवास) जरिये वारिसान :—
   4/1. सावित्री पत्नी रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   4/2. रामचन्द्र पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   4/3. सिलोचना पुत्री रिछपाल पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. हाल निवासी चक 1 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   4/4. सुनीता देवी पुत्री रिछपाल पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. हाल निवासी चक 1 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   4/5. लिछमादेवी पुत्री रिछपाल पत्नी दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. हाल निवासी 83 एल.एल.पी. जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 20[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:—

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 07.04.2026

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी न. 1 व 2 तथा वादी न. 3 व 4/2 से 4/5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4/1 के पति स्व. रिछपाल के नाम संयुक्त खाते में कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 4 डी.बी.एन. पटवार हल्का भगवानगढ़ की जमाबन्दी आधार संवंत 2072–2075 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 78 नया 65 पुराना में पत्थर नम्बर 49/274 मु.न. 20 के किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 8 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 में 5.8190 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदार रिछपाल पुत्र बीरबल का स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर उनके वारिसान बतौर वादी सख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/5 पक्षकार वाद है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अपने खातेदारी रकबा को वादीगण तथा प्रतिवादी न. 2 ता 4/5 शांति पूर्ण रूप से काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी न. 2 ता 4/5 ने मिलकर भारी खर्चा लगाकर बड़े–बड़े टिब्बो को समतल किया व झाड़ झखाड़ निकाल कर लाखों रूपयों का खर्चा लगाकर व कड़ी मेहनत करके काश्त के योग्य किया हैं। प्रतिवादी न. 1 गगनदीप सिंह जो ग्राम पचांयत भगवानगढ़ के सरपंच का पति हैं तथा अपना राजनैतिक प्रभाव रखता हैं। जैरवाद भूमि आबादी भूमि के चिपती हुई होने के कारण अपने राजनैतिक प्रभाव की आड़ में वादीगण की भूमि में हमेशा दखलन्दाजी करने का प्रत्यन्न करता हैं तथा इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता हैं। वादीगण के जैरवाद खातेदारी भूमि में ही पत्थर नम्बर 49/274 मु.न. 20 के किला नम्बर 6/1, 7 की भूमि गै.मु. जोहड़ की भूमि हैं तथा वर्तमान में इस भूमि में किकर के पेड़ तथा झाड़ झखाड़ उगे हुए हैं। प्रतिवादी न. 1 ने इस गै.मु. जोहड़ की भूमि पर अपना कब्जा करने के लिए ग्राम पचांयत की आबादी भूमि से वादीगण की खातेदारी भूमि जो आबादी भूमि व इस गै.मु. जोहड़ की भूमि के बीच में पड़ती हैं, मे दखलन्दाजी करके वादीगण की खड़ी फसल को नष्ट कर रहा हैं। प्रतिवादी न. 1 गगनदीप सिंह वादीगण की जैरवाद भूमि में कभी ट्रेक्टर लेकर तथा कभी जेसीबी लेकर घुस जाता हैं जबकि वादीगण की भूमि में कोई मन्जूरशुदा रास्ता भी नहीं हैं। वादीगण की जैरवाद भूमि में वर्तमान में सरसों, गेंहू तथा जौ की फसल काश्त की हुई है जो काफी बड़ी हो चुकी हैं तथा पकाव की तरफ है परन्तु प्रतिवादी न. 1 गगनदीप सिंह को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं हैं कि वादीगण की भूमि में ट्रेक्टर, जेसीबी ले जाने से वादीगण की खड़ी फसल में काफी नुकसान हो रहा हैं परन्तु वह तो अपने राजनैतिक प्रभाव की धौस दिखाकर वादीगण को धमका देता हैं। वाद पत्र प्रस्तुत करने से कुछ दिन पूर्व वादीगण की जैरवाद भूमि में प्रतिवादी न. 1 जेसीबी लेकर घुस गया तो वादीगण ने मना किया तो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पुलिस बुला ली तथा वादीगण के दो लड़को को थाने में बंद करवा दिया। प्रतिवादी न. 1 बहुत ही होशियार व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हैं व एक गुट [illegible] रखा हैं व सामान्य काश्तकार को दबाने व उसकी भूमि पर नाजायज कब्जा करने के लिए हमेशा [illegible] हैं वो अदालत व थाने को भी कुछ नहीं समझते व झगड़े पर [illegible] वादीगण शांतिप्रिय काश्तकार हैं। वादीगण का कानून व अदालत में पूर्ण [illegible] रखता हैं इसलिए वादीगण ने अपने हितो की रक्षा करने के लिए अदालत का सहारा लिया है व प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र प्रस्तुत करने से 2 रोज पहले दिनांक 29.01.2023 को जब वादीगण अपने खातेदारी जैरवाद भूमि पर काम कर रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ कुछ लोगो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

साथ इक्टठे होकर आये व उनके हाथों में पानी लगाने वाले फावड़े व कस्सीयां ली हुई थी व वादीगण को धमकाने लगे कि खेत छोड़कर घर चले जाओं वरना आपको मार पींट कर भगा देगें व बाद में बिना मंजूरशुदा रास्ते के ही जहां से हमारी इच्छा होगी आपके खेत में से घुस जायेगें व जहां से भी हमारा मनन करेगा वहां से फसल के बीच में से भी ट्रेक्टर ट्राली ले जायेगें , आपकों कुछ करना हैं तो करलों व यह भी धमकी दी की सामना किया तो पेड़ से बांधकर हम जो चाहे वो कार्यवाही करेगें। प्रतिवादी संख्या 1 व उनके सहयोगियों के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादीगण के रिकार्डेड व कब्जा काश्त के खातेदारी रकबा में दखल करने व घुसने से प्रतिबंधित रहे। दिनांक 30.01.2023 को गांव के चार पांच मौजिज व्यक्तियों को साथ लेकर प्रतिवादी न. 1 के घर गये व वहां पर पंचायत के लोगो ने प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया कि वादीगण की खातेदारी भूमि जिसमें कोई मंजूरशुदा रास्ता भी नहीं है, फिर वादीगण को आप क्यों तंग कर रहे हो, इस पर प्रतिवादी सख्या 1 एक दम गुस्से में आ गया व वादी व पंचायत के लोगों को कहा जो कुछ करना हैं कर लो, थाने या अदालत से हमारा कुछ करवाना हैं, करवालो हमे तो वादीगण की भूमि में से जहां हमारी इच्छा हुई वंहा से बिना खेत में से ट्रेक्टर आदि लेकर जायेगें। यह इन्कारी ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण पैदा करता हैं। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 4/1 ता 4/5 बावजूद तामील हाजिर नहीं आये इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद पत्र में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि चक 4 डी.बी.एन. की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 78 नया, 65 पुराना की कुल 5.819 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4/5 की खातेदारी भूमि हैं व उनके कब्जा में हैं?
2. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4/5 की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करने का अधिकारी हैं ?

उक्त तनकीयात कायम होने के पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रखी गई।

वादीगण के साक्ष्य में वादी भागीरथ , हरिराम तथा वकील कुमार व बलकरण सिंह ने अपने साक्ष्य जरिये शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह निल रही। प्रतिवादी साक्ष्य नहीं होने पर बन्द किये गये तथा पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि चक 4 डी.बी.एन. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की सम्वत 2072–2075 में खाता संख्या 78 नया, 65 पुराना में पत्थर नम्बर 49/274 मु.न. 20 के किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 8 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 5.8190 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वंय के नाम तथा वादी संख्या 3 व प्रतिवादीगण 4/1 ता 4/5 के [illegible] के नाम से खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार तनकी न. 1 इस जमाबंदी अनुसार साबित होती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की इस पत्थर नम्बर में कोई भूमि नहीं है। इस पत्थर [illegible] के किला नम्बर 6/1, 7 की भूमि पर प्रतिवादी न. 1 का कोई अधिकार साबित नहीं हैं। मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी वादीगण की जमाबंदी में भी कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं इसलिए प्रतिवादी न. 1 को वादीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादीगण अनुसार प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न. 1 तथा इसके साथ कई अन्य लोग वादीगण की खड़ी फसल उखाड़ने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए वादीगण के खातेदारी हितो व हको की रक्षा की जानी उचित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील हाजिर नहीं आया हैं तथा अपना पक्ष साबित नहीं किया हैं इसलिए वादीगण का दावा सच्चा प्रतीत होता हैं जो रिकार्ड अनुसार भी साबित हैं। इसलिए वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं कि चक 4 डी.बी.एन. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में खाता संख्या 78 नया, 65 पुराना में पत्थर नम्बर 49/274 मु.न. 20 के किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 8 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 5.8190 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4/5 के कब्जा काश्त में प्रतिवादी न. 1 स्वंय अथवा किसी अन्य के माध्यम से दखलन्दाजी नहीं करे व वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4/5 की खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाये। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-04-2026 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

–: अनवान :–

1. भागीरथ पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा हाल निवासी चक 4 डी.बी. एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अंकुश कुमार पुत्र संजय जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा हाल निवासी चक 4 डी.बी. एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. हरीराम पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी ढ़ाबा हाल निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. गगनदीपसिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राधादेवी पत्नी संजय कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. वकील कुमार पुत्र संजय जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रिछपाल पुत्र बीरबल(स्वर्गवास) जरिये वारिसान :–
   - 4/1. सावित्री पत्नी रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 4/2. रामचन्द्र पुत्र रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 4/3. सिलोचना पुत्री रिछपाल पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. हाल निवासी चक 1 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 4/4. सुनीता देवी पुत्री रिछपाल पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. हाल निवासी चक 1 एल.सी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
   - 4/5. लिछमादेवी पुत्री रिछपाल पत्नी दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 4 डी.बी.एन. हाल निवासी 83 एल.एल.पी. जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92, 207, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 31 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वकील वादीगण श्री विनोद कुमार बिश्नोई के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं कि चक 4 डी.बी.एन. पटवार हल्का भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में खाता संख्या 78 नया, 65 पुराना में पत्थर नम्बर 49/274 मु.न. 20 के किला नम्बर 1 ता 4, 5/1, 5/2, 8 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 5.8190 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4/5 के कब्जा काश्त में प्रतिवादी न. 1 स्वंय अथवा किसी अन्य के माध्यम से दखलन्दाजी नहीं करे व वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4/5 की खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाये।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × ...... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो [illegible] अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:56 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जय प्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)